[2006] SUPP. 8 S.C.R. 1102 : 2006 INSC 839

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर तथा अन्य

बनाम

चन्द्र शेखर चौधरी

नवम्बर 13, 2006

(अरिजित पसायत एवं लोकेश्वर सिंह पंत, न्यायमूर्तिगण)

सेवा विधि :

काम से अवमुक्त किया जाना - गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम को जारी रखने के लिए- एसोसियेट प्रोफेसर - संस्थान द्वारा अनुमति का प्रत्याख्यान - इस आधार पर कि यदि इसे अवमुक्त किया जाता है, स्टाफ की संख्या संस्थान के सन्नियम के अनुसार विनिर्दिष्ट प्रतिशत तक कम हो जायेगा - प्रत्याख्यान को चुनौती देते हुए रिट याचिका - एकल न्यायमूर्ति तथा खण्डपीठ ने प्रत्याख्यान को उचित नही ठहराया क्योकि सन्नियमो का अनुसरण कई मामलो में नही किया गया है - शिक्षक ने भी कुछ समय के बाद कार्यक्रम का त्याग कर दिया था - तथा संस्थान से अनुमति के बावजूद इसमे भाग नही लिया था - अपील पर, अभिनिर्धारित : मात्र इसलिए क्योकि कुछ मामलो मे सन्नियमो का पालन नही किया गया है, इस प्रकार के प्रत्यन्तर को जारी रखने की अनुमति देने का आधार नही हो सकता है।

भारत का संविधान 1950 - अनुच्छेद 14 -समता समानता हेतु दावा - अभिनिर्धारितः एक गलत आदेश एक ही आदेश के प्रवर्तन हेतु समानता का दावा करने के लिए आधार नही हो सकता है :

प्रत्यर्थी अपीलार्थी - संस्थान मे एसोसिएट प्रोफेसर था। प्रत्यर्थी ने संस्थान के द्वारा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम हेतु आवेदन किया थौ। इसे आईआईटी मद्रास मे प्रवेश हेतु चयनित किया गया था। जब इसने पंजीकरण- पूर्व जाने के लिए अवमुक्त किये जाने का आवेदन किया था, इसे अनुमति देने से इंकार किया गया था। इसने यह अभिकथन करते हुए रिट याचिका दाखिल किया था कि इसे अनुमति अवैध तथा मनमाना तरीके से देने से इंकार किया गया था। संस्थान का मामला यह है कि सन्नियमो के अनुसार, इस प्रकार की अनुमति नही दी जा सकती है, यदि उस विभाग मे स्टाफ की संख्या 70 प्रतिशत से नीचे हो जायेगी।

एकल न्यायमूर्ति ने यह धारित करते हुए रिट याचिका अनुज्ञात किया था कि चूँकि सन्नियमो का पालन कई मामलो मे नही किया गया हैं, प्रत्यर्थी को इस प्रकार का अवसर देने से

इंकार करना उचित नही होगा। लेटर्स पेटेन्ट अपील मे, उच्च न्यायालय के खण्डपीठ ने एकल न्यायमूर्ति के निर्णय की पुष्टि किया था। अतः वर्तमान अपील प्रस्तुत है।

अपील को अनुज्ञात करते हुए न्यायालय ने - अभिनिर्धारित किया कि : 1. गलत आदेश एक ही आदेश के प्रवर्तन हेतु समानता का दावा करने के लिए आधार नही हो सकता है। प्रत्यर्थी का अधिकार इसके प्रवर्तन हेतु समान वर्ताव के संबंध में इसे हकदार बनाने के लिए प्रवर्तनीय अधिकार पर आधारित होना चाहिए। सरकार द्वारा गलत निर्णय गलत आदेश को लागू करने तथा समता या समानता का दावा करने के लिए अधिकार नही देता है - दो गलतीयाँ कभी भी सही नही हो सकती है।

(1106-ई0एफ0)

हरियाणा राज्य तथा अन्य बनाम रामकुमार मान (1997) 3 एससीसी 321 पर भरोसा किया गया।

बिहार राज्य तथा अन्य बनाम कामेश्वर प्रसाद सिंह तथा एक अन्य (2000) 9 एससीसी 94; विक्रम शामा शेट्टी बनाम महाराष्ट्र राज्य तथा अन्य (2006) 6 एससीसी 70; साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लि0 बनाम प्रेम कुमार शर्मा तथा अन्य (2006) 7 स्केल 240; एकता शक्ति फाउन्डेशन बनाम दिल्ली सरकार रा0 रा0 क्षे0, जेटी (2006) 6 एससी 500 तथा साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लि0 बनाम प्रेम कुमार शर्मा तथा अन्य, एआईआर (2006) एससी 2727 को निर्दिष्ट।

2. माल इसलिए क्योकि कुछ मामलो में सन्नियमो का पालन नही किया गया हो सकता है यह इसे धारित करने का आधार नही हो सकता है कि सन्नियमो से प्रत्यन्तर जारी रहना चाहिए। प्रत्यर्थी द्वारा अपने आधार को साबित करने के लिए छलसाधित तथा गढ़े गये दस्तावेजो को रखने के बारे में गंभीर अभिकथन है। प्रत्यर्थी के आधार का समर्थन करने के लिए आईआईटी मद्रास से कोई आधिकारिक संसूचना नही है कि इससे कार्यक्रम मे भाग न लेने के लिए अपीलार्थी- संस्थान के अधिकारियों द्वारा कहा गया था। आधार का समर्थन करने के लिए कुछ सामग्री होनी चाहिए। दूसरी तरफ सर्वसम्मति से, अप्रैल 2005 के बाद प्रत्यर्थी ने कार्यक्रम को छोड़ दिया था। यह भी अभिलेख पर है कि अपीलार्थी ने इन तथ्यो के होते हुए भी प्रत्यर्थी से उच्च न्यायालय के निदेश के अनुसार अध्ययन जारी रखने के लिए आईआईटी मद्रास को वापस रिपोर्ट करने के लिए कहा था। लेकिन यह प्रत्यर्थी द्वारा किया गया प्रतीत नही होता है।

(1106-जी0बी0, 1107 -ए0बी0)

सिविल अपीलीय अधिकारिता : सिविल अपील सं0 4911 वर्ष 2006

लेटर्स पेटेन्ट अपील सं0 147/2004 मे झारखण्ड उच्च न्यायालय रॉची के अंतिम निर्णय तथा आदेश दिनांक 13.05.2004 से

अपीलार्थी के लिए पुनीत दत्त त्यागी

प्रत्यर्थी के लिए महावीर सिंह, विनय के दास, राकेश दहिया तथा अनिल कुमार झा

न्यायालय का निर्णय **अरिजित पसायत न्यायमूर्ति** द्वारा सुनाया गया। अनुमति अनुदत्त की जाती है।

इस अपील मे एक रिट याचिका मे विद्वान एकल न्यायमूर्ति के निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा दाखिल लेटर्स पेटेन्ट अपील को खारिज करने वाले झारखण्ड उच्च न्यायालय के खण्डपीठ द्वारा दिये गये निर्णय को चुनौती दिया गया है। प्रत्यर्थी ने स्वयं को अवमुक्त करने के लिए अपीलार्थी को निदेश हेतु रिट याचिका दाखिल किया था जिससे वह अपना पीएचडी कोर्स भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (संक्षेप मे आईआईटी) मे जारी रखने की स्थिति मे होगा।

पृष्ठभूमिक तथ्य संक्षेप मे निम्नवत है :

रिट याची (इसमे प्रत्यर्थी) इसमे अपीलार्थी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर के धातुकर्मीय अभियांत्रिकी विभाग मे एसोसिएट प्रोफेसर है।

रिट याचिका के अनुसार, रिट याची ने क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर के जरिए एआईसीटीई द्वारा प्रायोजित गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (क्यूआईपी) मे प्रवेश के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। इसे आईआईटी मद्रास मे प्रवेश के लिए चयनित किया गया था तथा रजिस्ट्रेशन पूर्व औपचारिकताओ को पूरा करने के लिए उस संस्थान मे उपस्थित होने के लिए कहा गया था। रिट याचिका के अनुसार यद्यपि इसने रजिस्ट्रेशन पूर्व जाने के लिए स्वयं को अवमुक्त करने हेतु अपीलार्थी को आवेदन किया था, इसे अपीलार्थी द्वारा अवैध तथा मनमाना तरीके से अनुमति देने से इंकार किया गया था। रिट याची के अनुसार, अपीलार्थी का कार्य अयुक्तियुक्त था तथा भेदभावपूर्ण भी था। अपीलार्थी ने यह कहते हुए रिट याचिका का विरोध किया था कि सन्नियमो के अनुसार, यदि इस प्रकार के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए शिक्षक को अवमुक्त करने पर, उस विभाग मे स्टाफ की संख्या निर्धारित क्षमता के 70 प्रतिशत से कम हो जाती है, अनुमति देने से इंकार किया जायेगा तथा यदि रिट याची को अवमुक्त किया जाना था जैसा इसके द्वारा ईप्सित है, उस विभाग मे संख्या स्वीकृत संख्या के 61.9 प्रतिशत से कम हो जायेगी तथा यही वह स्थिति थी कि इसे पाठ्यक्रम हेतु स्वयं को पंजीकृत करवाने के लिए

अनुमति नही दी गई थी। यह भी निवेदन किया गया हे कि आरंभ मे भी, अपना आवेदन अग्रेषित करते हुए, रिट याची को अवगत कराया गया था कि वह तभी अपना पाठ्यक्रम जारी रखने मे सक्षम होगा यदि इसे संस्थान से अवमुक्त किया जा सकता है तथा यदि इसके अवमुक्त किये जाने पर, स्टाफ की संख्या 70 प्रतिशत से कम नही होगी। भेदभाव के अभिवाक् का खण्डन किया गया है तथा यह निवेदन किया गया है कि रिट याची जानबूझकर अपने अनुसूचित जाति का सदस्य होने के बारे मे हौआ खड़ा करते हुए विभाग को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है तथा यह धमकी देते हुए अधिकारियो का भयादोहन करने का भी प्रयास कर रहा है कि वह आत्महत्या कर लेगा, यदि इसे अवमुक्त नही किया जाता है। रिट याचिका खारिज किये जाने योग्य है।

यद्यपि विद्वान एकल न्यायमूर्ति ने पाया कि ऐसा सन्नियम है जो इस प्रकार के पाठ्यक्रम हेतु जाने के लिए शिक्षक को अनुमति देने से इंकार करने का उपबंध करता है यदि स्टाफ की संख्या 70 प्रतिशत से कम हो जाती हे फिर भी यह संप्रेक्षित किया गया कि इस संबंध में संगतता नही है तथा सन्नियमो का अनुसरण कई मामलो मे नही किया गया है। इसलिए, इस प्रकार के अवसर से इंकार करना उचित नही होगा। अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष लैटर्स पेटेन्ट अपील अधिमानित किया था।

यह बताया गया है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय (संक्षेप मे एचआरडी) द्वारा प्रशासनिक निर्णय दिनांक 09.11.2003 के अनुसरण मे बोर्ड आफ गवर्नर ने संस्थान मे क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के अवकाश नियमावली तथा आचरण नियमावली को अपनाया था। इस प्रकार का निर्णय उस दिन लिया गया था जब मामले की सुनवाई विद्वान एकल न्यायमूर्ति द्वारा की गई थी तथा आदेशो को रिजर्व किया गया था। उस समय तक विद्वान एकल न्यायमूर्ति ने अपना निर्णय सुनाया था। आईआईटी दिल्ली नियमावली पहले ही प्रवर्तित हो गया था तथा इसलिए, शिक्षण स्टाफ के किसी सदस्य को इस प्रकार के पाठ्यक्रम हेतु अवमुक्त नही किया जा सकता है, यदि स्टाफ की उपलब्ध संख्या 85 प्रतिशत से कम हो जाती है। अलग तरीके से कहा जाय तो केवल 15 प्रतिशत के कोटा को इस प्रकार के पाठ्यक्रम हेतु अनुमति दी जा सकती है।

खण्डपीठ ने अभिनिर्धारित किया कि यद्यपि सिद्धांततः अपीलार्थी के आधार से सहमत हुआ गया होगा कि जब सन्नियम विहित करता है कि कार्यक्रम हेतु शिक्षक को अवमुक्त करते हुए संख्या को 70 प्रतिशत से नीचे कम नही किया जाना चाहिए इस प्रकार के शिक्षक को

अवमुक्त नही किया जाना चाहिए, फिर भी यह अभिनिर्धारित किया गया क्योकि सन्नियम सर्वत्र क्रियान्वित नही किया गया है। विद्वान एकल न्यायमूर्ति अपने विचार मे न्यायानुमोद्य था।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि मात्र इसलिए क्योंकि अतीत मे कोई त्रुटि रही है, इसे प्रत्यर्थी को अनुतोष देने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा आधार के रूप में नही लिया जा सकता है। आगे यह बताया गया है कि प्रत्यर्थी अप्रैल 2005 के बाद आईआईटी मद्रास मे पीएचडी डिग्री के रूप मे अपना प्रोग्राम जारी नही रखा था। लेकिन जैसा आईआईटी मद्रास के पत्र से स्पष्ट है, प्रत्यर्थी ने तीनो विषयो जिसमे वह उपस्थित हुआ था मे निम्न ग्रेड प्राप्त किया था तथा इसने बाकी पाठ्यक्रम मे भाग नही लिया था। यह बताया गया है कि प्रत्यर्थी ने यह प्रद्रर्शित करने के लिए दस्तावेजो को छल साधित तथा गढ़ा है कि इसे अध्ययन पाठ्यक्रम जारी रखने से अपीलार्थी के अधिकारियो द्वारा रोका जा रहा है। इनके अनुसार प्रत्यर्थी भी अपीलार्थी के अधिकारियों के विरूद्ध मिथ्या तथा पक्षपातपूर्ण अभिकथनो को करने का दोषी है।

दूसरी तरफ प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि कोई कारण नही है कि क्यो, प्रत्यर्थी के लिए भिन्न मापदण्ड प्रयोग किये जाने की माँग की गई है। वह षडयंत्र से पीड़ित है। प्रत्यर्थी ने स्पष्ट रूप से साबित किया है कि कैसे तथा क्यो इसके लिए अप्रैल 2005 के बाद पाठ्यक्रम मे भाग लेना संभव नही था। यह निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी ने दुराशय से प्रत्यथी का उत्पीड़न किया है।

हरियाणा राज्य तथा अन्य बनाम रामकुमार मान (1997) 3 एससीसी 321 मे इस न्यायालय ने संप्रेक्षित किया :

> ''भेदभाव का सिद्धान्त प्रवर्तनीय अधिकार के अस्तित्व पर आधारित है। इसके साथ भेदभाव किया गया था तथा समानता से वंचित किया गया था क्योकि कुछ समान रूप से स्थित व्यक्तियों को यही अनुतोष दिया गया था। अनुच्छेद 14 केवल तब लागू होगा जब आपत्तिजनक भेदभाव इस निमित्त किसी तार्किक आधार या संबंध के बिना समान तथा समान रूप से परिस्थितियों वाले व्यक्तियो को दिया जाता है। जो भी हो, प्रत्यर्थी के पास कोई अधिकार नही है तथा इसे गलत तरीके से दिये गये अनुतोष अर्थात् त्यागपत्र के वापसी का लाभ नही दिया जा सकता है। उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुचने मे पूर्णतया गलत था कि आपत्ति भेदभावपूर्ण था। यदि हमे गलती करने की अनुमति नही दी सकती है, कर्मचारी जिसे धन का दुर्विनियोग करने के बाद सेवा से बरखास्त किया जाता

है तथा तत्पश्चात इस आदेश को वापस लिया जाता है तथा इसे सेवा मे यथापूर्व किया जाता है। क्या समान परिस्थिति वाला व्यक्ति यथापूर्वकरण हेतु धारा 14के अधीन समानता का दावा कर सकता है? उत्तर स्पष्ट रूप से ''नही'' है।

एक प्रतिकूल मामले में, प्रथमतः कोई गलत हो सकता है लेकिन गलत आदेश एक ही आदेश के प्रवर्तन हेतु समानता का दावा करने के लिए आधार नही हो सकता है। जैसा पहले कहा गया है, इसका अधिकार इसके प्रवर्तन हेतु इसे समान बर्ताव करने का हकदार बनाने के लिए प्रवर्तनीय अधिकार पर आधारित होना चाहिए। सरकार द्वारा गलत निर्णय गलत आदेश को लागू करने तथा समता या समानता का दावा करने का अधिकार नही देता है। दो गलतियाँ कभी भी अधिकार नही बन सकती है'' (देखिए विहार राज्य तथा अन्य बनाम कामेश्वर प्रसाद सिंह तथा एक अन्य (2000) 9 एससीसी 94, विक्रम शाम शेट्टी बनाम महाराष्ट्र राज्य तथा अन्य (2006) 6 एससीसी 70, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लि0 बनाम प्रेम कुमार शर्मा तथा अन्य (2006) 7 स्केल 240, एकता शक्ति फाउन्डेशन बनाम दिल्ली सरकार रा0रा0क्षे0 जेटी (2006) 6 एससी 500, तथा साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लि0 बनाम प्रेम कुमार शर्मा तथा अन्य एआईआर (2006) एससी (2727)

मात्र इसलिए क्योंकि कुछ मामलो में सन्नियमो का अनुसरण न किया गया हो सकता है यह इस बात को धारित करने के लिए आधार नही हो सकता है कि सन्नियमों से प्रत्यन्तर जारी रहना चाहिए। अपना आधार सिद्ध करने के लिए प्रत्यर्थी द्वारा दस्तावेजो को छल साधित तथा गढ़े जाने के बारे मे गंभीर अभिकथन है। हमे इन अभिकथनो की जाँच करने की आवश्यकता नही है। लेकिन जैसा प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है, प्रत्यर्थी का समर्थन करने के लिए आईआईटी मद्रास से कोई अधिकृत संसूचना नही है, प्रत्यर्थी के आधार का समर्थन करने के लिए आईआईटी मद्रास से कोई अधिकृत संसूचना नही है कि इससे कार्यक्रम मे भाग न लेने के लिए उक्त संस्थान के अधिकारियों द्वारा कहा गया था। आधार का समर्थन करने के लिए कुछ सामग्री होना चाहिए था। दुर्भाग्य से, प्रत्यर्थी के लिए कुछ भी नही है। दूसरी तरफ सर्व सम्मति से अप्रैल 2005 के बाद, प्रत्यर्थी ने कार्यक्रम छोड़ दिया था। यह भी अभिलेख पर है कि अपीलार्थी ने इन तथ्यो के होते हुए भी उच्च न्यायालय के निदेश के अनुसार अध्ययन जारी रखने के लिए आईआईटी मद्रास को वापस रिपोर्ट करने के लिए कहा था। लेकिन यह प्रत्यर्थी द्वारा किया गया प्रतीत नही होता है।

अपरिहार्य परिणाम यह है कि उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायमूर्ति तथा खण्डपीठ का आदेश कायम नही रह सकता है तथा तद्नुसार अपास्त किया जाता है। अपील को अनुज्ञात किया जाता है लेकिन खर्चो के संबंध मे किसी आदेश के बिना परिस्थितियो मे।

अपील अनुज्ञात

(यह अनुवाद 02 शिवा कान्त तिवारी पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया)

This is certify that these are true and correct HIndi translated copies of judgement of PDF files available in eSCR. If any discrepancy is found at later stage. I shall be soely responsible for it.